तारीख ~~हुक्म~~	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/X/24	पत्रावली पेश हुई (वास्ते आदेश) | प्रकरण निम्न प्रकार है — प्रार्थीया द्वारा वाद अन्तर्गत 88, 89, 188 RTA प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि ग्राम उम्मेदगंज तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 161 कुल रकबा 2.98 Hect में से 0.80 Hect आराजी पर 50 yrs से कब्जा चला आ रहा है। जब तक प्रार्थीया के पति जीवित थे तब तक उसके पति तथा वादिनी संयुक्त रूप से काबिज काश्त रहे तथा 1996 से लगातार वादिनी के नाम तहसील लाडपुरा से कृषकाश्त के नोटिस आ रहे हैं तथा वह लगातार जुर्माना राशि अदा करती आ रही है। अतः वादिनी का वाद स्वीकार किया जाकर वादिनी को वादिनी के कब्जे काश्त की आराजी हाल खसरा नं. 161 कुल रकबा 2.98 में से 0.80 Hect का खातेदार घोषित किया जावे।	

न्यायालय उपखण्ड ... कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी लाडपुरा तहसीलदार को तलब किया गया। प्रतिवादी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने के कारण 31/03/22 को जवाब दावा बन्द कर दिया गया। बहस एकपक्षीय सुनी गई। उक्त परिस्थितियों में वाद में एकमात्र तनकी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है - "क्या वादिनी 50 प्रतिशत भूमि पर काबिज है तथा क्या वादिनी भूमि आवंटन नियमों में आवंटन योग्य है।" तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदिका द्वारा संवत् 2061, 2064, 2065, 2066, 2067, 2013, की के धारा 91 के नोटिस तथा जमा की रसीदें संलग्न की है तथा जमाबन्दी संवत् 2072-75, मिलानखसरा 2038-57, तथा नक्शा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रस्तुत किया गया है। अभिभाषक वादिनी का दौराने बहस कथन है कि वादिनी लगातार काबिज काश्त है। तथा आवंटन की पात्रता रखती है। सरकारी पैरोकार द्वारा बहस में कथन किया गया है कि वादिनी का कब्जा निर्बाध नहीं है। वादिनी को प्रत्येक वर्ष बेदखल किया गया है। वादिनी द्वारा केवल धारा 91 के नोटिस व जमा की रसीदें प्रस्तुत की गई है, पूर्ण निर्णय की प्रति व पत्रावली की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि वादिनी निर्णयों की प्रति प्रस्तुत करती तो स्वतः प्रमाणित हो जाता कि वादिनी को प्रतिवर्ष बेदखल किया गया है। अर्थात वादिनी क्लीन हैण्ड न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई है। साथ ही सरकारी पैरोकार द्वारा उल्लेखित किया गया कि प्रश्नगत आराजी वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज है, तथा नगरीय भूमि	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	है, जिस पर भूमि आवंटन व नियमन नियम लागू नहीं होते। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि ना तो वादिनी लगातार निर्बाध कब्जा साबित कर पाई है और ना ही सम्पूर्ण दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। साथ ही प्रकरण पत्रावली से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि प्रश्नगत आराजी वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा नगरीय भूमि है। उपरोक्त परिस्थितियों में वाद में निर्धारित तनकी वादिनी के विरुद्ध तय की जाती है। चूंकि निर्धारित तनकी वादिनी के विरुद्ध तय की गई है तथा वादिनी अपना दावा (वाद) सिद्ध करने में असफल रही है अतः वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188

न्यायालय ... कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 8/8/24 उपखण्ड अधिकारी कोटा न्यायालय ... कोटा	